FORM-A

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

संजीत कुमार सिंह,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
सह
विशेष न्यायाधीश, अररिया।

निर्णय की तिथि– 07.09.2026
सत्रवाद संख्या : 481/2026
महलगांव थाना कांड संख्या – 103/2025
C.I.S. No.- 481/2026

सूचकः– बीबी रिजवाना, पति– मो0 अनसार

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री रजानंद पासवान।

अभियुक्त :– 1. साकिब, पे0– नसीम
साकिन– पदमपुर, वार्ड–13, थाना– महलगांव, जिला–अररिया।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री विष्णुकांत मिश्रा

FORM-B

अपराध की घटना तिथि	15.03.2025
प्राथमिकी की तिथि	11.06.2025
आरोप पत्र की तिथि	24.05.2026
संज्ञान की तिथि	18.06.2026
आरोप गठन की तिथि	01.07.2026
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	18.07.2026
निर्णय पर नियत की तिथि	07.09.2026
निर्णय की तिथि	07.09.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	लागू नहीं।

अभियुक्त की विवरणी

अभियुक्त का क्रमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	साकिब
न्यायिक अभिरक्षा की तिथि	24.04.2026
जमानत पर मुक्त की तिथि	काराधीन
आरोप गठन की धारा	64 BNS
दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दोषमुक्त
दण्डादेश	लागू नहीं।
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अन्तर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	लागू नहीं।

FORM-C

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

क– अभियोजन

क्रमांक	रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	पी0डब्लू0–01	मो0 कामरान हुसैन	साक्षी
2.	पी0डब्लू0–02	रिजवाना	सूचिका
3.	पी0डब्लू0–03	मो0 मेराज आलम	साक्षी
4.	पी0डब्लू0–04	मो0 सब्बीर आलम	साक्षी
5.	पी0डब्लू0–05	बीबी महमूदा	साक्षी
6.	पी0डब्लू0–06	तौकीर रिजवी	साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षी

क्रमांक	रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय साक्षी

क्रमांक	रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	Nil	Nil	Nil

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

क– अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–1	लिखित आवेदन पर सूचिका साक्षी का हस्ताक्षर
2.	प्रदर्श–2	बयान पर सूचिका/पीड़िता का हस्ताक्षर

ख– बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

ग– न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

घ– वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्त धारा 64 BNS के अर्न्तगत न्यायिक विचारण का सामना कर रहा है।

2. अभियोजन का अंतर्सार यह है कि सूचिका/पीड़िता बीबी रिजवाना ने आरोप लगाते हुए कथन किया है कि दिनांक 15.03.2025 को करीब 11:00 बजे दिन में वह अपने घर से पूरब खेत में गाय का चारा लाने गई, अचानक पीछे से साकीब नें धक्का मारकर उसे गरा दिया तथा चाकु का भय दिखाकर उसे मकई खेत ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया और मोबाईल में वीडियो बना लिया और वीडियो का भय दिखाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा जिससे वह गर्भवती हो गई। जब सूचिका को पता चला कि वह गर्भवती है तो इसकी सूचना उसने साकिब को दिया। साकिब उसे जान से मारने की धमकी तथा वीडियो वायरल करने का भय दिखाता रहा। इसके बाद जब साकीब के परिजन नसीम, ताजीर, असरफ, अरशद को घटना के बारे में बताया गया वे लोग बोले कि कुछ रूपया ले लो और गर्भपात करा लो नहीं तो चाकु से पेट काटकर हत्या कर देगा। पंचायत भी हुआ लेकिन अभियुक्तगण पंचायत की बात नहीं माने।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर प्रस्तुत वाद की औपचारिक प्राथमिकी महलगांव थाना काण्ड सं0– 103/2025 के रूप में दिनांक 11.06.2025 को अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज कर वाद का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र सं0– 91/2026 दिनांक 24.05.2026 अन्तर्गत धारा 64, 351(2), 3(5) भा.न्या0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध समर्पित किया गया, तत्पश्चात विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया के न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध 64 BNS के अन्तर्गत वाद का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 01.07.2026 को भा0न्या0सं0 की धारा 64 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं पढ़कर हिंदी में सुनाया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताया तथा विचारण की मांग किया। अभिलेख विभिन्न न्यायालय से स्थानान्तरण के पश्चात इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2026 को विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 01.07.2026 को आरोप का गठन धारा 64 भा0न्या0सं0 के अंतर्गत किया गया एवं उसका सारांश हिन्दी में पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त अपने उपर लगाये गये आरोप का खंडन करते हुए न्यायिक–विचारण का दावा किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 साक्षी को प्रस्तुत किया गया। अन्य साक्षियों की उपस्थिति हेतु समन, जमानतीय एवं अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने एवं अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् आदेश दिनांक 03.09.2026 द्वारा अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया।

5. अभियुक्त का बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 07.09.2026 को दर्ज किया गया। वह अपने को निर्दोष बताया और बचाव पक्ष के अनुरोध पर सफाई साक्ष्य बंद किया गया।

6. न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति ढंग से सभी तर्कसंगत संदेहों से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा हैं?

मंतव्य

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 साक्षी को परीक्षित कराया गया है जो निम्न है :–

अभियोजन साक्षी सं0– 1	मो0 कामरान हुसैन
अभियोजन साक्षी सं0– 2	रिजवाना (सूचिका/पीड़िता)
अभियोजन साक्षी सं0– 3	मो0 मेराज आलम

अभियोजन साक्षी सं0– 4 मो0 सब्बीर आलम
अभियोजन साक्षी सं0– 5 बीबी महमूदा
अभियोजन साक्षी सं0–6 तौकीर रिजवी

अभियोजन के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो निम्नलिखित है–

प्रदर्श–1 लिखित आवेदन पर सूचिका/पीड़िता का हस्ताक्षर।
प्रदर्श–2 पीड़िता का 183 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत बयान पर हस्ताक्षर।

8. बचाव पक्ष के द्वारा न तो किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया है।

9. अभियोजन साक्षी सं0– 01 मो0 कामरान हुसैन नें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस उसकी बहन रिजवाना प्रवीण नें किया है। महलगांव थाना में उसकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन अभियुक्तगण के विरूद्ध दिया गया था। यह घटना एक साल से अधिक समय का दोपहर के समय का है। केस होने के बाद वह दिल्ली चला गया था। उसकी बहन से पुलिस पूछताछ किया था तथा न्यायालय में लाकर उसका बयान भी करवाया था और चिकित्सीय जांच करवाया गया था। अभियुक्त साकिब को भीसी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे साक्षी नें देखकर पहचान किया।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि, आवेदन थाना पर लिखा गया था, आवेदन पढ़कर नहीं सुनाया गया था। केस होने के बाद वह बाहर चला गया था। पुलिस उसका बयान नहीं ली थी। घटना की व्यक्तिगत जानकारी उसे नहीं है। आज स्वेच्छा से न्यायालय में गवाही देने आया है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–2 रिजवाना जो इस केस की सूचिका एवं कथित पीड़िता है, नें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि महलगांव थाना में उसके द्वारा एक आवेदन लिखवाकर दिया गया था जिसपर वह अपना हस्ताक्षर की थी। साक्षी नें आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया तथा आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को **<u>प्रदर्श–1</u>** अंकित किया गया है। साक्षी आगे कथन करती है कि वह यह केस साकिब पर की है। साकिब अभी जेल में है। यह घटना करीब दो साल पहले की, दिन के करीब 12–1 बजे की है। वह उस समय घास काटने खेत पर गई थी उसी समय साकिब से उसका लड़ाई हो गया। इसी बात को लेकर वह केस कर दी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। केस होने के बाद पुलिस उसे अररिया सदर अस्पताल में तथा पटना अस्पताल में जांच के लिए ले गई थी। पुलिस उसे न्यायालय लेकर आई थी। न्यायालय में उसका बयान हुआ था जिसपर वह अपना हस्ताक्षर की थी। साक्षी के न्यायालय में हुए बयान पर हस्ताक्षर को **<u>प्रदर्श–2</u>** अंकित किया गया है। अभियुक्त साकिब को कारा से भीसी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे साक्षी नें देखकर पहचान किया।

साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मवेशी का चारा लाने वह साकिब के खेत गई थी। उसी में साकिब चारा काटने से मना किया था। मना करने वाली बात को लेकर आपस में बाताबाती हो गया। इसके अलावा अन्य कोई घटना घटित नहीं हुई थी। न्यायालय में बयान वह अपने मन से दी थी। जो बात अभी बोली है वही बात न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी बोली थी। थाना में जो आवेदन दी थी उसे पढ़कर सुनाया गया था। थाना में भी चरी चरवाही को लेकर विवाद होने की बात बताई थी। अभियुक्त साकिब उसके ससुराल गांव का है इसलिए पहचानती है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–3 मो0 मेराज आलम नें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बीबी रिजवाना को जानता है। उसके साथ घटना हुए करीब एक साल हो गए। उस समय वह अपने घर में था। पता चला कि रिजवाना का साकिब के साथ लड़ाई हुआ था। इसी बात को लेकर रिजवाना केस की। पुलिस उसका बयान ली थी। अभियुक्त साकिब को कारा से भीसी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे साक्षी नें देखकर पहचान किया।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि सुनी सुनाई बातों पर गवाही दिया है। घटना की कोई व्यक्तिगत जानकारी उसे नहीं है। अभियुक्त साकिब उसका पड़ोसी है इसलिए पहचानता है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–4 मो0 सब्बीर आलम नें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि, बीबी रिजवाना को जानता है। उसके साथ घटना हुए करीब एक–डेढ़ साल हो गए। उस समय वह अपने घर में था। पता चला कि रिजवाना का साकिब के साथ झगड़ा हुआ था। घास काटने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर रिजवाना केस की। पुलिस उसका बयान ली थी। अभियुक्त साकिब को कारा से भीसी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे साक्षी नें देखकर पहचान किया।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि, वह झगड़ा होते देखा नहीं था। सुनी सुनाई बातों पर गवाही दिया है। घटना की कोई व्यक्तिगत जानकारी उसे नहीं है। अभियुक्त साकिब उसका पड़ोसी है इसलिए पहचानता है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–5 बीबी महमूदा नें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बीबी रिजवाना को जानती है। उसने यह केस साकिब पर किया है। साकिब अभी जेल में है। यह घटना हुए करीब एक साल हो गए। उस समय वह अपने घर में थी। पता चला कि साकिब के खेत में रिजवाना घास काटने गई इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर रिजवाना केस की। पुलिस उसका बयान ली थी। अभियुक्त साकिब को कारा से भीसी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे साक्षी नें देखकर पहचान किया।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि, वह सुनी थी कि घास काटने को लेकर बाताबाती हुआ था, और कोई बात नहीं हुआ था। अभियुक्त साकिब उसके गांव का है इसलिए पहचानती है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–6 तौकीर रिजवी नें अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि, बीबी रिजवाना को जानता है। उसने यह केस साकिब पर किया है। साकिब अभी जेल में है। यह घटना हुए करीब डेढ़ साल हो गए। उस समय वह अपने घर में था। पता चला कि रिजवाना साकिब के खेत में घास काटने गई इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर रिजवाना केस की। पुलिस उसका बयान ली थी। अभियुक्त साकिब को कारा से भीसी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे साक्षी नें देखकर पहचान किया।

उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह सुना था कि घास काटने को लेकर बाताबाती हुआ था, और कोई बात नहीं हुआ था। अभियुक्त साकिब उसके गांव का है इसलिए पहचानता है।

15. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद में सूचिका सहित कुल 06 साक्षियों

का साक्ष्य कराया गया है, परन्तु कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सूचिका सहित सभी साक्षियों नें घास काटने को लेकर बाताबाती होने की बात कही है। इस वाद में अभियोजन चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता का भी साक्ष्य कराने में विफल रही है। अतः अभियुक्त को लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

16. अभियोजन की ओर से कथन किया गया है कि कुल 06 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है तथा पीड़िता नें अपने 183 बीएनएसएस के तहत दिए गए बयान में घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की प्रार्थना करते हैं।

निष्कर्ष

17. प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत कुल 06 साक्षीगण का साक्ष्य एवं अभिलेख का अवलोकन एवं विश्लेषण किया। अभियोजन साक्षी सं0 02 जो इस केस की सूचिका एवं कथित पीड़िता है, नें अभियोजन कथानक से अलग अपना साक्ष्य दिया है तथा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 एवं 7 में कहा है कि मवेशी का चारा लाने वह साकिब के खेत गई थी, साकिब चारा काटने से मना किया, इसी बात को लेकर बाताबाती हुई थी। इसके अलावा कोई अन्य घटना नहीं हुई थी। थाना में भी चरी चरवाही को लेकर विवाद होने की बात बताई थी। अभियोजन साक्षी संख्या 1, अभियोजन साक्षी संख्या–3, अभियोजन साक्षी संख्या–4, अभियोजन साक्षी संख्या–5 एवं अभियोजन साक्षी संख्या–6, कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपना साक्ष्य देते हुए कथन किया है कि घास काटने को लेकर अभियक्त के साथ सूचिका/पीड़िता का विवाद हुआ था। अभियोजन इस वाद में चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य कराने में असफल रही है। यद्यपि पीड़िता नें 183 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिए गए बयान में घटना का समर्थन किया है परन्तु इस न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में कथित घटना से पूर्णतः इनकार किया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य एवं प्रदर्श–1 जो लिखित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर है तथा प्रदर्श–2 जो पीड़िता का 183 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत बयान है, से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के अपराध का आवश्यक तत्व प्रमाणित नहीं होता है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः

आदेश

18. काराधीन अभियुक्त 1. साकिब, पे0– नसीम को आरोपित धारा 64 भा0न्या0सं0 के आरोप से आरोप की पुष्टि युक्ति–युक्ति संदेहों से परे साबित न होने के कारण पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष–मुक्त किया जाता है। कार्यालय अविलम्ब काराधीन अभियुक्त साकिब का मुक्ति आदेश निर्गत करे। अभियुक्त द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–481 के पालन में बंधपत्र नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें आदेशित किया जाता है कि 30 दिन के अंदर बी0एन0एस0एस0 की धारा–481 के अनुपालन में 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करेंगे। कार्यालय लिपिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत करके खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया।

लेखापित एवं संशोधित

sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.)
अररिया। 07.09.2026

sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.)
अररिया। 07.09.2026